संख्या-91/2022/492/2190169/12-5002(099)/11/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 26 दिसम्बर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिक, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-1402/2022-23/लेखा0/कृ0सु0पुनर्विनियोग, दिनांक 08-08-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिक, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के मानक मद 06-अन्य भत्ता में रू०0.20 लाख (रूपये बीस हजार) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्ता के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20222023-492-2190169-12-5002-099-11-2022

विषयः- अनुदान संख्या-**11** के लेखाशीर्षक **2401-** फसल कृषि कर्म, **111-** कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, **03-**कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना योजना के मानक मद-**06-**अन्य भत्ते में रू. **0.20** लाख के पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	2401001110300 (कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना)	01 (वेतन)	12,96,82,000 रुपये बारह करोड़ छियानबे लाख बयासी हजार मात्र	20,000 रुपये बीस हजार मात्र	-20,000 रुपये बीस हजार मात्र	12,96,62,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	2401001110300 (कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना)	06 (अन्य भते)	0	20,000 रुपये बीस हजार मात्र	20,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

स्तम्भ-**3** में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-**4** में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से -1 -है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अ-वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

स्तम्भ-**8** में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-**9** में वास्तविक आवश्यकता के -2 कारण अनुदान की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर -3 सं-**150** व **151** में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<1182-1-184> **-2022-23,** दिनांक-14 दिसंबर, **2022**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 12-12-2022 12:11:09
Reason: Approved
(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव

संख्या : <492-1A03169/12-5-022-058 दिनांक- दिसंबर, **2022**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** (बी0 एम **0-9** तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-**1**।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।